(5)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 51/18–19

केष का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–09 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकारः– सरकार (अंचल अधिकारी, खजौली)

प्रतिपक्षीः–दामोदर साहु/जिला परिषद, मधुबनी।

आदेष का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	अर्जीकारः– अंचल अधिकारी, खजौली। प्रतिपक्षीः–1–दामोदर साहु पिता–अशर्फी साहु ग्राम+बेहटा, थाना–खजौली, जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षी–2–जिला परिषद, मधुबनी। विवादित भू–खण्डः– मौजा–बेहटा खाता नं. 01 खेसरा नं. 374/696 रकवा– 0–1–15 (एक कट्ठा पन्द्रह धूर)	
	आदेश	
8-3-19	प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खजौली से प्राप्त जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख संख्या–3/2018 में उल्लेखित प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रारम्भ करते हुये वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। पक्षकारों को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई के उपरान्त वाद को आदेशार्थ रखा गया। **अंचल अधिकारी, खजौली के पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– सी0एस0खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि बकास्त खाता की है जबकि आर0एस0खतियान के अनुसार यह भूमि जिला परिषद के खाते की है। 2– आवेदक एवं अन्य बनाम जिला परिषद के अनुसार चले हकीयत वाद संख्या–1/09 की धारा– 106 बी0टी0एक्ट के अनुसार निर्णय आवेदक के पक्ष में है। भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है तथा जमाबंदी संख्या–1851 के नाम से चलती है। 3– भूलक्ष मौजा–मनियरवा के जमाबंदी संख्या–04 से खारिज हो गया। मौजा–मनियरवा एवं मौजा– बेहटा का जमाबंदी एक ही पंजी–II में चलने के कारण ऐसा हुआ। 4– जमाबंदी संख्या–04 से संबंधित मामला माननीय सब जज प्रथम के न्यायालय में टी0एस0संख्या–286/2013 चल रहा है। दाखिल खारिज के समय यह बात संज्ञान में नहीं आने के कारण जमाबंदी संख्या–1851 प्रतिपक्षी के नाम कायम हो गया। 5– मौजा– बेहटा के खाता संख्या–01 खेसरा संख्या– 374/696 रकवा 00–01–15 (एक कट्ठा पन्द्रह धूर) भूमि का जमाबंदी संख्या–1851–बनाम–दामोदर साहु पिता–अशर्फी साहु, ग्राम–बेहटा थाना–खजौली जिला–मधुबनी को रद्द किये जाने की अनुशंसा की जाती है। **प्रतिपक्षी दामोदर साहु की ओर से प्रस्तुत वकालतन पक्ष का मुख्य अंशः** 1–मौजा–बेहटा महाल सुक्की प्र0 बछौर तौजी नं. 549 थाना–खजौली थाना नं. 87 अवस्थित खेसरा संख्या– 374 पुराना रकवा 2 बिगहा 2 कट्ठा 12 धूर सहित दिगर जमीन पूराना सर्वे खतियान ऑनरेबुल महाराजधिराज रामेश्वर सिंह के मालिक थे। पूराना सर्वे खतियान खेसरा संख्या–378 सहित दिगर एराजी बकास्त मालिक दर्ज हुआ। बकास्त मालिक का अर्थ भूतपूर्व जमींदार के प्रत्यक्ष उपयोग–उपभोग की हुयी। 2– वर्ष 1950 में हुयी जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व जमींदारो ने बकास्त	

भूमि का रिटर्न बिहार सरकार को दाखिल किया। स्पष्ट है कि खेसरा संख्या–374 के किसी भी अंश पर बिहार सरकार की हकीयत नहीं रहा वो न है।

3– इधर आकर कुमार यज्ञनेश्वर सिंह पे0 स्व0 राजाबहादुर विश्वेश्वर सिंह ने अपनी खेसरा नं. 374 की कुल रकवा 2 बिघा 2 कट्ठा 18 धूर में से रकवा 7 कट्ठा बजरिये केवाला दिनांक– 17.08.2009 द्वारा विपक्षी सहित दिगर व्यक्ति को बजरूरीयात बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया। जिस पर खरीदारान दखलकार हैं।

4– विपक्षी का दखल कब्जा पाकर अंचल अधिकारी, खजौली ने प्रश्नगत जमाबंदी नं. 1851 कायम किया जिसका मालगुजारी हासिल करते आ रहे हैं।

5– नया सर्वे खतियान जिला परिषद के नाम होने की जानकारी होने पर दफा 106 बी0टी0एक्ट वाद संख्या–1/09 दर्ज किया गया जिसमें पुराना खेसरा संख्या–374 नया 696 रकवा 5 एकड़ 60 डिसमल में से 31 डिसमल का खाता विपक्षी वो दिगर खरीदारान के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया।

6– बिहार सरकार ने विपक्षी के निबंधित केवाला 13.06.09 रकवा 1 कट्ठा 15 धूर के निसवत हकीयत वाद संख्या– 286/2013 दायर कर रखे हैं जो जैरतवीज है। जिला परिषद मधुबनी ने भी हकीयत वाद संख्या–275/13 माननीय सब जज प्रथम मधुबनी के न्यायालय में दायर किया था जो पैरवी के अभाव में खारिज हो गया।

7– जबतक जमाबंदीदार का हकीयत अथवा जमाबंदीदार का बुनियाद किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है तबतक कायम जमाबंदी का रद्दीकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के बरखिलाफ होगा।

8– अंचल अधिकारी, खजौली भली–भॉति अवगत हैं कि विपक्षी के खरीदगी एराजी के निसवत मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है उसके बावजूद उन्होंने जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर किया जो कतई उचित नहीं है। कायम जमाबंदी सर्वथा विधि–सम्मत है। वाद खारिज किया जाय।

प्रतिपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में विभिन्न साक्ष्यों की छाया प्रति लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखित बहस के साथ संलग्न किया।

उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपाकल पदाधिकारी, जिला परिषद, मधुबनी के पत्रांक–250/जि0अभि0दिनांक–2811.18 से प्राप्त प्रतिवेदनः–

1– मौजा–बेहटा अंचल–खजौली के अंतर्गत खाता संख्या– 246 खेसरा संख्या– 696 रकवा 5 एकड़ 60 डिसमल जमीन सड़क एवं सड़क किनारे की जमीन है जिसका **खतियान जिला परिषद** के नाम से है। साक्ष्य के रूप में नया सर्वे खतियान के नकल की छाया प्रति संलग्न की गई।

विपक्षी के जवाब पर विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता का लिखित पक्षः–

विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब आधारहीन एवं न्याय संगत नहीं है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदार की भूमि बिहार सरकार में भेस्ट हो गई। विपक्षी ने अंचल अमला को मेल वो दाम में लाकर अगर गलत जमाबंदी कायम करवा लिया है तो वह रद्द होने योग्य है। विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द की जाय।

निष्कर्षः–

अंचल अधिकारी, खजौली से प्राप्त संधारित अभिलेख में उपलब्ध कागजात/साक्ष्य एवं प्रतिवेदन, विपक्षी का प्रत्युत्तर, जिला परिषद की ओर से प्रस्तुत पक्ष, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित पक्ष, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये बहस। सारे तथ्यों का अवलोकन किया।

(7)

विपक्षी के कथन का मुख्य अंश है कि अंचल अधिकारी, खजौली भली–भाँति अवगत हैं कि विपक्षी के खरीदगी एराजी के निसवत मामला सक्षम न्यायालय में लंबित है उसके बावजूद उन्होंने जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर किया जो कतई उचित नहीं है। किन्तु लंबित वाद में पारित आदेश का कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रतिपक्षी ने प्रस्तुत नहीं किया। माननीय सक्षम न्यायालय का आदेश सर्व–मान्य होगा।

जबकि अंचल अधिकारी ने आदेशफलक में लिखा है कि जमाबंदी संख्या–04 से संबंधित मामला माननीय सब जज प्रथम, मधुबनी के न्यायलाय में टी0एस0संख्या–284/2013 चल रहा है।

रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार खाता जिला परिषद के नाम खुला है। खतियान नया खाता संख्या–246 खेसरा–696 किस्म–जमीन सड़क है। जिला परिषद के खाते की भूमि का रैयत के नाम जमाबंदी कायम किया जाना संदेहास्पद है।

अंचल अधिकारी अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाली भूमि के राजस्व अभिलेखों के संरक्षक हैं। जिनका प्रतिवेदन है कि भूलक्ष मौजा–मनियरवा के जमाबंदी संख्या–04 से खारिज होकर जिला परिषद की भूमि का जमाबंदी रैयत के नाम कायम हो गया जो मौजा–बेहटा एवं मनियरवा की जमाबंदी एक ही पंजी–II संधारित रहने के कारण हुआ। जिला परिषद की भूमि का रैयत के नाम कायम जमाबंदी को रद्दीकरण की अनुशंसा की गई।

विद्वान सहायक सरकारी की अनुशंसा है कि विपक्षी ने अंचल अमला को मेल वो दाम में लाकर अगर गलत जमाबंदी कायम करवा लिया है तो वह रद्द होने योग्य है।

सारे तथ्यों के आधार पर जिला परिषद के खाते की भूमि का रैयत के नाम जमाबंदी कायम रहना सर्वथा अनुचित है। प्रतिपक्षी के नाम कायम जमाबंदी संख्या–1851 को रद्द किया जाता है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खजौली एवं जिला परिषद, मधुबनी को भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से आदेश से पक्षकार को अवगत करा देंगे।

अंचल अधिकारी को सचेष्ट किया जाता है कि जिला परिषद की भूमि का रैयत के नाम दाखिल खारिज करने का प्रस्ताव देने वाले राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करें साथ ही भविष्य में बिना स्वयं स्थलीय जॉच के जमाबंदी कायम नहीं करें ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या की पुनरावृति नहीं हो।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

8/3/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

8/3/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।